भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1192
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया)

नए सीएसआर नियम

1192. श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमडा :
श्री टी॰ एन॰ प्रथापनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन कारणों से सरकार ने नए सीएसआर नियमों का कार्यान्वयन नहीं करने का फैसला किया है जो उल्लंघन को अपराध बनाते हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सीएसआर नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;
(ग) क्या सरकार ने सीएसआर निधियों में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों या वित्तीय संस्थानों में से किसी को पकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार मणप्पुरम फाइनेंस और केटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ जांच करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के पास देश में सीएसआर निधियों के उपयोग के संबंध में क्षेत्र-वार आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने ऐसी भ्रष्ट फर्मों पर अंकुश लगाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सीएसआर में धोखाधड़ी के मामलों में पकड़ी गई कंपनियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): गंभीर धोखाधड़ी और प्रमुख उल्लंघनों, जिनका सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") को अनापराधिकृत (डिक्रिमिनलाइज़) बनाने के समग्र प्रयास किए गए हैं।

(ख) से (च): संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों के लिए एमसीए-21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यों का विवरण वार्षिक रूप से फाइल करना अपेक्षित है। केंद्रीकृत संवीक्षा और अभियोजन ढांचे को कंपनियों द्वारा सीएसआर अनुपालन की निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया था। जब भी, सीएसआर उपबंधों के

जारी....2/-

उल्लंघन की कोई सूचना प्राप्त होती है अभिलेखों की उचित रूप से जांच के बाद, समुचित विधि प्रक्रिया अपनाते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 366 मामलों में अभियोजन के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सीएसआर से संबंधित सभी अपराध प्रशम्य हैं। अब तक, 118 आवेदन प्रशमन हेतु प्राप्त हुए हैं और 37 मामलों को प्रशमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अधिनियम की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के बारे में 5382 कंपनियों को सूचना हेतु पत्र जारी किए गए थे।

मणप्पुरम फाइनेंस और केटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड के विरुद्ध जांच के बारे में आज की तारीख तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय के क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक** पर दिए गए हैं।

******

अनुलग्नक

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में) (30.06.2019 तक डाटा)

विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	कुल योग
कृषि-वानिकी	18.12	57.85	43.45	12.18	131.60
पशु कल्याण	17.29	66.67	78.65	59.48	222.09
सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाए/आश्रित	4.76	11.14	37.86	27.72	81.49
कला और संस्कृति	117.37	119.17	305.57	283.81	825.92
निर्मल गंगा कोष	5.47	32.82	24.37	4.44	67.10
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	44.60	49.85	119.09	212.74	426.28
शिक्षा	2,589.42	4,057.45	4,500.82	4,594.64	15,742.32
पर्यावरण संरक्षण	773.99	796.69	1,076.46	1,076.42	3,723.56
लैंगिक समानता	55.21	73.85	72.60	20.48	222.14
स्वास्थ्य सेवाएं	1,847.74	2,569.43	2,484.05	2,192.16	9,093.38
आजीविका संवृद्धि परियोजनाएं	280.17	393.38	515.47	658.18	1,847.19
एनईसी/उल्लिखित नहीं है	1,338.40	1,051.16	388.96	0.76	2,779.28
केंद्र सरकार की अन्य निधियां	277.10	334.35	419.99	255.40	1,286.83
गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का निवारण	274.70	1,252.08	606.55	635.93	2,769.25
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	228.18	218.04	158.80	158.20	763.23
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,059.35	1,376.16	1,554.78	1,477.29	5,467.58
स्वच्छ पेयजल	103.95	180.16	147.76	180.16	612.03
स्वच्छता	299.54	631.80	421.71	291.69	1,644.75
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	8.94	21.87	26.91	32.94	90.67
महिलाओं के लिए घर और छात्रावासों की स्थापना	8.74	29.28	61.97	67.73	167.72
अनाथाश्रम की स्थापना	5.12	16.90	16.80	36.86	75.68
स्लम क्षेत्र विकास	101.14	14.10	51.49	35.11	201.84
सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	39.04	77.97	148.01	134.70	399.72
विशेष शिक्षा	41.43	125.84	164.83	122.56	454.67
स्वच्छ भारत कोष	113.86	325.52	184.06	213.79	837.23
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	4.74	26.34	23.09	15.54	69.71
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	57.62	140.12	180.33	227.50	605.57
व्यावसायिक कौशल	277.07	344.39	373.46	391.73	1,386.66
महिला सशक्तिकरण	72.87	122.79	141.62	200.37	537.65
कुल योग	**10,065.93**	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.51**	**52,533.16**

****